इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 अप्रैल 2022—चैत्र 25, शक 1944

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2022

क्र. एफ—1(सी)3—2019—ई—चार.— मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 21 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

संशोधन

उक्त अनुसूचि के मद ''च—अन्य संस्थायें'' में अनुक्रमांक 66 के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाये,

''67—मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी''

इस निकाय के अंकेक्षण शुल्क की दरें समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत किए गए अनुसार होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार जैन, उपसचिव.

Bhopal, the 28th March 2022

No F1(c)3/2019/E-4, in exercise of powers conferred by the subsection (3) of section 21 of the Madhya Pradesh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam,1973 (43 of 1973) the state Government, hereby, makes the following further amendment in the schedule of the said Adhiniyam,namely:-

//AMENDMENT//

In the said schedule, after serial number 66 of the item "F other Local Bodies" , the following serial number and entries relating thereto shall be added namely:-

" 67- MADHYA PRADESH STATE HAJ COMMITTEE "

Rate of the Audit fees of these bodies would be according to that fixed by the Government from time to time.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MANOJ KUMAR JAIN, Dy. Secy.

श्रम विभाग

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2022

अधिसूचना क्रमांक/भ.स.क.क.म./2022..1269..............मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) नियम 2002 के नियम 278 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, दिनांक 11 जुलाई 2014 द्वारा अधिसूचित सेवाओं की सारणी में सेवा क्रमांक 4 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है (सारणी में शेष सेवाऐं यथावत रहेंगी):-

संशोधन

उक्त योजना के प्रावधानों में

सेवा क्र.	सेवाऐं	पदाभिहित अधिकारी	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.	30 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त, नगर निगम,	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		ब. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद.	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

के स्थान पर

सेवा क्र.	सेवाएें	पदाभिहित अधिकारी	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण् की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना	ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.	90 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त, नगर निगम,	90 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		ब. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद.	90 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

प्रतिस्थापित किया जाता है

अधिसूचना क्रमांक/भ.स.क.क.म./2022 .1270.......मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 278 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, दिनांक **15 फरवरी 2019** द्वारा अधिसूचित योजना **"विवाह सहायता योजना, 2004"** में एतद द्वारा निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है:-

संशोधन

उक्त योजना के प्रावधानों में

कण्डिका 6.1- पंजीबद्ध महिला श्रमिक के विवाह/एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबद्ध श्रमिक की दो पुत्रियों की सीमा तक रूपये 51 हजार प्रति विवाह सहायता देय होगा।

न्यूनतम पांच महिला श्रमिकों के सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा में रूपये 49 हजार सहायता देय होगी एवं इसके अतिरिक्त रूपये 2 हजार प्रति विवाह सामूहिक विवाह के आयोजक को अलग से देय होगी।

के स्थान पर

कण्डिका 6.1 "विवाह सहायता योजना" अंतर्गत म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत पात्र महिला श्रमिक अथवा पंजीकृत श्रमिक की पुत्री (प्रति पंजीकृत श्रमिक 02 पुत्रियों तक) द्वारा सामाजिक न्याय विभाग की "मुख्यमंत्री कन्यादान योजना" अंतर्गत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर विवाह करने पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के प्रावधान अनुसार हितग्राही को सामाजिक न्याय विभाग द्वारा हितलाभ प्रदान किया जावेगा। उक्त सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत महिला श्रमिकों तथा पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा सामाजिक न्याय विभाग को राशि प्रदाय की जायेगी।

यदि म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत महिला श्रमिक अथवा पंजीकृत श्रमिक की पुत्री द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत आयोजित "सामूहिक विवाह" कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से विवाह किया जाता है तो वह मंडल की विवाह सहायता योजना अंतर्गत हितलाभ हेतु पात्र नहीं होगी।

प्रतिस्थापित किया जाता है

उपरोक्त संशोधन इस अधिसूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होंगे।

संजय जैन, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.